



सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर
जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

Email: deanspgmcmmandsaur@gmail.com

Website: www.spgmcmmandsaur.org



क्रमांक 2265./स्थापना/2025

मंदसौर, दिनांक 31/12/2025

विज्ञप्ति सीनियर रेसीडेन्ट (SR)

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ. क्रमांक/एफ 2/1/14/0013/2023/55-2 'भोपाल' दिनांक 21/11/2023 द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर हेतु सीनियर रेसीडेन्ट के पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 89/एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल दिनांक 12/01/2024 के द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता शर्तों के अनुक्रम में सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) में सीनियर रेसीडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर रोस्टर सीमित द्वारा रोस्टर संधारण कर सीमित पदावधि से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक मन्त्राह के मंगलवार को कार्य दिवस में बॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

Sl. No	Department	Total Posts	Senior Resident Reservation Roster				
			UR	OBC	SC	ST	EWS
1.	Anatomy	3	1	1	0	1	0
2.	Physiology	3	1	1	0	1	0
3.	Biochemistry	3	1	1	0	1	0
4.	Pharmacology	2	0	1	0	1	0
5.	Pathology	1	0	0	1	0	0
6.	Microbiology	2	1	0	0	1	0
7.	Forensic Medicine & Toxicology	3	1	1	0	1	0
8.	General Medicine	5	2	1	1	1	0
9.	General Surgery	4	2	0	1	1	0
10.	Obstetrics & Gynecology	1	0	1	0	0	0
11.	Pediatrics	1	1	0	0	0	0
12.	Psychiatry	1	1	0	0	0	0
13.	Radio diagnosis	3	1	1	0	1	0
Total		32	12	8	3	9	0

सीनियर रेसीडेन्ट (निर्वाचित वेतन रु. 88210/- प्रतिमाह)

नोट :- इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.) (Website : <https://medicaleducation.mp.gov.in/>) एवं सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) (Website : <https://spgmcmmandsaur.org/>) की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदक पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेजों (साथ में एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ) के साथ स्कूटनी हेतु प्रत्येक मंगलवार को उपस्थित होना है, जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है :-

- प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक : स्कूटनी हेतु चिकित्सा महाविद्यालय में रिपोर्टिंग
- प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक : प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी

नोट :- यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में उल्लिखित मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे अधिकतम दोपहर 12:00 बजे तक स्कूटनी समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित आवेदक द्वारा सीट पर दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के स्कूटनी पश्चात, पात्र आवेदकों के साक्षात्कार उसी दिन दोपहर 3:00 बजे के पश्चात प्रारंभ होंगे।

साक्षात्कार हेतु आवेदक आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

इस विज्ञापन की वैधता विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक अथवा किसी कारणवश नया विज्ञापन जारी करने की स्थिति में नये विज्ञापन जारी होने तक अथवा दोनों में से जो भी पहले होगी, वो रहेगी। रिक्तियों की स्थिति समय-समय पर संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

यदि किसी मंगलवार को शासकीय अवकाश रहता है, तो उस दिन साक्षात्कार निरस्त रहेगा। साथ ही, प्रशासनिक अपरिहार्य कारणों से किसी कार्य-दिवस वाले मंगलवार को भी साक्षात्कार निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को सुरक्षित रहेगा।

Kandhi
अधिष्ठाता

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर



सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

E-mail: deanspgmcmmandsaur@gmail.com

Website: www.spgmcmmandsaur.org



बॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे साक्षात्कार हेतु भरे हुए आवेदन पत्र एवं सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों (साथ में एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ) के साथ अधिष्ठाता कार्यालय सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर में मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन शुल्क :- सभी अभ्यर्थियों के लिये आवेदन निःशुल्क होगा।

नियम एवं निर्देश :- म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 89/एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12/01/2024 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेन्ट की चयन/भर्ती प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी :-

1. सीनियर रेसीडेन्ट्स

पात्रता :-

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पाँच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

(ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

होगी एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

अपात्रता :-

(i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्था द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय/संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अधिष्ठाता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जान पर।

(v) विन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

नू द समस्त आवेदकों को इस आशय का स्व-घोषित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि विन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों में से अथवा अन्य किसी कारण से उनके विरुद्ध कोई वैधानिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही न ही संस्थित की गई है और न ही वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलन में है।

चयन विधि :-

(i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमतः प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।

(iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी. होगा।

(v) योग्य अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन के मापदण्ड एवं प्रोराटा के आधार पर नियत होगा (परिशिष्ट -3)।

(vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।



सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

Email: deanspgmcmmandsaur@gmail.com

Website: www.spgmcmmandsaur.org



टेन्युअर (Tenure) :-

- टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- 01 वर्ष की टेन्युअर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
- विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक् किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- निर्धारित/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

2. प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन :-

पात्रता :-

- सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।
- जिस प्रदर्शक/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिये सीनियर रेसीडेन्सी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि :-

- ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.डी./एम.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

सीट का आरक्षण :-

- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

वेतन भत्ते :-

प्रदर्शक/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।



सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर
जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश



Email: deanspgmcmmandsaur@gmail.com

Website: www.spgmcmmandsaur.org

अवकाश :-

इनको सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर हरते हुये 12 दिवस के आवस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

टीप :-

जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/ चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता :-

साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अधिष्ठाता

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर

DEAN

Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)